Rs.5 INDIA FIVE RUPEES (court fee stamps)

135

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

/भू–राजस्व/अभ्यावेदन/सीहोर/2018/

विविध–0090/2019/सीहोर/भू.रा.

बाबूलाल पुत्र श्री सुखराम खाती
निवासी–ग्राम सेवदा, तह0–आष्टा,
जिला–सीहोर (म0प्र0) ---**आवेदक/अभ्यावेदक**

विरूद्ध

जमनाप्रसाद पुत्र श्री नारायण सिंह
निवासी–ग्राम सेवदा, तह0–आष्टा,
जिला–सीहोर (म0प्र0) --- **प्रत्यर्थी**

केम्प भोपाल पर दिनांक 20/12/18 को अभि. श्री मेहरबान सिंह द्वारा प्रस्तुत

20/12/18

अभ्यावेदन अंतर्गत धारा–8 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

अभ्यावेदन श्रीमान आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के प्र0क0–199/अपील/17–18 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2018 जिसके द्वारा अ0वि0अ0 महोदय, आष्टा द्वारा प्र0क0–35/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 29.09.17 स्थिर रखा, जिसके द्वारा तहसीलदार इछावर के प्र0क0–117/ अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 13.06.14 निरस्त किया गया है, से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर निम्नानुसार अभ्यावेदन/आवेदन समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक के पिता तीन भाई थे, जिसमें से स्व0श्री भागीरथ पुत्र स्व0श्री दरयाब सिंह जी ने निःसंतान होने के कारण अपने भाई सुखराम के पुत्र अभ्यावेदक/आवेदक को दत्तक पुत्र की हैसियत से अपने पास रखा हुआ था एवं उन्होंने अपनी पारिवारिक कृषि भूमि का विधिवत बटबारा कराकर तत्समय अपने स्वत्वों पर आधिपत्य में रहते हुए विधिवत समक्ष गवाहान अभ्यावेदक/आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया। उनकी मृत्यु पश्चात अभ्यावेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0090/2019/सीहोर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	आवेदक की ओर से श्री मेहरवान सिंह, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राहयता पर सुना गया । आवेदक द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता,1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 8 के अन्तर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 8 के अंतर्गत मंडल को प्रशासकीय नियंत्रण की शक्तियां दी गई । इस धारा का उपयोग न्यायिक शक्तियों के लिए नहीं किया जा सकता है, जबकि अभ्यावेदन के माध्यम से न्यायिक विचारण के बिन्दु उठाए गए हैं । अतः यह अभ्यावेदन अमान्य किया जाता है । अध्यक्ष	